देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचना:–

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 750 **/ भू अ०** **दिनांक :** 30/7/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–पाडुया, थाना–सारठ, थाना सं०–532, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **शहरजोरी मोड़ (एम०डी०आर०–222 पर)–आसनबनी–अलगबरा–दुमदुमी–दनरबाद–करौं तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–पाडुया, थाना–सारठ, थाना सं०–532, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.47** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8	962	रैयती	म०स०	0.005	दामोदर राय वो सचिन राय वो कैशव राय पे०–नुनधन राय वो रमेश राय पे०–अमीन राय कौम–भूमिहार सा०देह	वेदपुरा नं०–534	दनरवाद नं०–535	अर्जित रकवा का अंश	अर्जित रकवा का अंश एवं मौजा–534
2	9	981	रैयती	धानी–3	0.08	विपदभजन पाण्डेय वो मधु सुधन पाण्डे पे०–नथु पाण्डे वो कृष्णानन्द पाण्डेय, पे० वासुदेव पाण्डेय। सा० देह।				
3	9	982	रैयती	धानी–3	0.06	तथैव।				
4	9	985	रैयती	बाड़ी–2	0.005	तथैव।				
5	18	1147	रैयती	बाड़ी–2	0.14	सुभाष चन्द्र राय पे०–लखन चंद्र राय कौम–भुमिहार सा० देह				
6	18	1146	रैयती	बाड़ी–1	0.02	तथैव।				
7	18	1145	रैयती	बाड़ी–2	0.03	सुभाष चन्द्र राय पे०–लखन चन्द्र राय वो शुखसागर राय वो शंशाक शेखर राय पे०–शिरोमणी राय कौम–भुमिहार सा० देह				
8	47	986	रैयती	म०स०	0.015	रसीक हांसदा वो बुधन हांसदा पे०–शोनाथ हांसदा कौम–संथाल सा० देह।				
9	47	987	रैयती	बाड़ी–1	0.03	तथैव।				
10	47	988	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
11	30	965	रैयती	धानी–3	0.005	जन्मजय राय पे० पृथ्वी राय वो सुधीर कुमार राय पे०–योगेन्द्र राय कौम–भुमिहार सा० देह।				
12	30	966	रैयती	धानी–3	0.015	तथैव।				

13	31	964	रैयती	बाड़ी–2	0.01	ज्योतिन्द्र राय, पिता–बेगरू राय वो अजय कुमार राय पे०–भुदेव राय कौम–भुमिहार सा०देह				
14	31	2	रैयती	बाड़ी–2	0.01	मुस्तवाहा				
15	31	967	रैयती	बाड़ी–2	0.005	मुस्तवाहा				
				कुल रकवा–	**0.47**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर | अपर समाहर्त्ता, देवघर | समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 750 / भू अ०, देवघर, दिनांक 30/7/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर | अपर समाहर्त्ता, देवघर | समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।